कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

राजस्व विभाग

2010-2011

अनुक्रमणिका

क्र0सं0		विषय	पृष्ठ सं0
प्रस्तावना			
1.	राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अध्यावधिक विवरण		1
2.	भूमि सुधार कार्य		1—8
	2.1	कृषि भूमि पट्टों में गरीबों की वरीयता	
	2.2	ग्राम समाज की कृषि भूमि आवंटन	
	2.3	ग्रामीण आवास स्थल आवंटन	
	2.4	मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन	
	2.5	कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन	
	2.6	वृक्षारोपण हेतु पट्टे	
	2.7	उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि	
	2.8	विकलांगों के लिए आवासीय पट्टों की व्यवस्था	
	2.9	सीलिंग में प्राप्त भूमि का आवंटन	
	2.10	सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता	
	2.11	उ0प्र0 के समस्त खातेदार/सह खातेदार कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	
	2.12	आम आदमी बीमा योजना	
	2.13	किसान बही का विवरण	
	3.	राजकीय देयों की वसूली	8—9
	3.1	मुख्य देय	
	3.2	विविध देय	
4.	राजस्व वादों की स्थिति		9—11
	4.1	जनपदीय न्यायालयों की स्थिति	

4.2 मण्डलीय न्यायालयों की स्थिति

4.3 राजस्व परिषद के न्यायालयों की स्थिति

4.4 सीलिंग वादों के निस्तारण की स्थिति

5. राजस्व अधिनियम की धारा–33–ए के अन्तर्गत उत्तराधिकार के निर्विवादित मामले एवं धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अविवादित हस्तान्तरण के वादों का निस्तारण — 12

6. सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया की प्रगति — 12–14

7. राजस्व भवनों का निर्माण — 14–15

1. मण्डल / जनपद स्तरीय भवन

2. 12वाँ वित्त आयोग

3. लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण

4. तहसील स्तर पर राजस्व बंदी गृहों का निर्माण

8. प्रदेष में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्य — 16–19

8.1 खतौनी का कम्प्यूटरीकरण

8.2 डिजिटल रेवेन्यू रिकार्ड रूम की स्थापना

8.3 राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली

8.4 राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0)

8.5 आय, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन

8.6 रेवेन्यू साफ्ट

9. तहसील दिवस — 19–20

10. भूति अध्याप्ति के कार्यकलाप — 20–22

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्र में बहुआयामी विकास होने के बाबजूद आज भी प्रमुख उद्यम कृषि ही है। जिससे इस देश की बहुसंख्यक जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यवसायों के लिए भूमि सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख–रखाव, बिखरे जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका कियान्वयन तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए विभिन्न देयों की वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्यो का निष्पादन राजस्व विभाग के प्रमुख दायित्व हैं।

सामान्य जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से सीधे जुड़े होने के कारण राजस्व विभाग प्रदेश प्रशासन का एक तरह मेरूदण्ड है। राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु वर्तमान में निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से कार्य हो रहा है जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्नवत हैः–

1– राजस्व परिषद

उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना सन् 1831 में इलाहाबाद में तत्समय विद्यमान एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गयी थी, तब से यह परिषद शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कियाशील है। सन् 1932 में इस परिषद को नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों के कार्य पर नियन्त्रण के अधिकार प्रदान किये गये। वर्ष 1947 मे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को पृथक किया गया। न्यायिक कार्यो का मुख्यालय इलाहाबाद तथा प्रशासनिक कार्यो का मुख्यालय

लखनऊ रखा गया। न्यायिक कार्य के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए आई0सी0एस0 संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किये गये। सन् 1947 से 1955–56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित था जिसे समाप्त करके वर्ष 1956–57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य (कर) तथा सदस्य (भूमि व्यवस्था) की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गयी।

वर्ष 1957–58 में परगना अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, बिक्री कर अधिकारी की नियुक्ति व स्थानान्तरण के अधिकार परिषद को प्राप्त हुए साथ ही आबकारी, निबन्धन, मनोरजंन कर व चकबन्दी अधिकारी के कार्यो पर परिषद का नियन्त्रण रहा, जिसे राज्य सरकार द्वारा बाद में वापस ले लिया गया।

वर्तमान समय में राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमिहीन, आवासहीन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा आवास स्थलों का आवटंन तथा पट्टाधारकों की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किए गये अवैध कब्जों को हटाकर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही, मुख्य देय एवं विविध देयों की वसूली, सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि का पात्र व्यक्तियों को आवंटन करने तथा तहसील दिवसों में प्राप्त जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश, कृषक बीमा योजना का कार्यान्वयन, तहसीलों/जनपदों /मण्डलों के कार्यालयों में कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराने तथा आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण आदि की कार्यवाही त्वरित गति से चलाई जा रही है।

राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यकलाप यथा भूमि सुधार कार्य, राजकीय देयों की वसूली, राजस्व वादों की स्थिति, सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया की प्रगति, राजस्व भवनों का निर्माण, भू–अभिलेखों की कम्प्यूटरीकरण योजना एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य तथा तहसील दिवस से सम्बन्धित जो कार्य सम्पन्न कराये

जा रहे हैं उन कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की वर्गीकरण सहित सूचना नीचे अंकित की गई है। राजस्व भवनों के निर्माण हेतु धन की आवश्यकता उनके विवरण के साथ अंकित की गई है।

2. चकबन्दी आयुक्त संगठन

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गई है । चकबन्दी आयुक्त का संगठनात्मक ढांचा पृथक से आगे के पृष्ठों पर दिया जा रहा है । यह योजना एक कल्याणकारी योजना है तथा भूमि सुधार कार्यक्रम का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समग्र, सामाजिक समीकरण एवं परिवेश को सीधे तौर पर प्रभावित करता है । इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई हेतु नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की जाती है ।

3. भूमि अध्याप्ति निदेशालय

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना वर्ष 1987 में की गयी थी । यह निदेशालय राजस्व परिषद के अधीन एवं उसके प्रशासकीय नियंत्रण में क्रियाशील है । जनहित में कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन के समस्त कार्य इस निदेशालय द्वारा जनपदों में स्थापित भूमि अध्याप्ति इकाइयों के माध्यम से सम्पादित कराये जाते है ।

4. जिला गजेटियर

इस विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में की गयी थी । तत्समय भारत सरकार के निर्देशों एवं वित्तीय अनुदान पर प्रदेश के 54 जिलो के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने तथा अंग्रेजी भाषा में जिलेवार गजेटियर तैयार करने का दायित्व इस संगठन को दिया

था । इसके उपरान्त पूरे राज्य का एक राज्य गजेटियर तैयार किये जाने का कार्य इसे दिया गया । वर्ष 1980–81 में भारत सरकार द्वारा यह योजना पूरी तरह से प्रदेश सरकार को स्थानान्तरित कर दी गयी । तब से यह संगठन प्रदेश सरकार के वित्तीय प्रभार में क्रियाशील है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में समय–समय पर सूखा, बाढ़ वर्षा एवं शीत लहरी से प्रभावित व्यक्तियों को राहत/सहायता दिया जाना भी राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है । दैवी आपदा के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग द्वारा सदैव तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है और प्रत्येक आपदा की सम्भावना के दृष्टिगत जनपदों से अग्रिम आवंटन के साथ–साथ आपदा से सुरक्षात्मक उपाय करने के भी विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किये जाते है ।

(राज प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव

राजस्व परिषद

राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का अध्यावधिक विवरण

1 राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य प्रदेश के भूमि सम्बन्धी आंकड़ों का समुचित रखरखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी जनकल्याणकारी विभिन्न कार्यक्रमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ–साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली करना है। शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों का कब्जा दिलाया जाना, कृषि एवं आवास भूमि का चिन्हीकरण एवं आवंटन, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, तहसील दिवस, लोक शिकायत तथा एकल खिड़की से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है। भूमि सुधार कार्यक्रमों को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, अन्य विभागों की सामाजिक, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में भी राजस्व परिषद की प्रमुख भूमिका है। राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत हैः–

भूमि सुधार कार्य

भूमि सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। भूमि जैसी दैवप्रदत्त आर्थिक सम्पदा का सम्यक लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिले इसके लिए उ0प्र0 सरकार ने समय की मांग के अनुरूप कुछ व्यवहारिक, संतुलित एवं जनोपयोगी कदम उठायें हैं, जो कि निम्नवत हैः–

भुमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत तीन वर्षों की तुलनात्मक उपलब्धियॉ

2.1 कृषि भूमि पट्टों में गरीबों को वरीयता

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम–1950 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को अन्य जातियों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वरीयता प्राप्त है। ग्राम पंचायत की भूमि पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के जो व्यक्ति 13 मई

2007 के पूर्व से काबिज हैं और उनके पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें धारा– 122 ख (4–च) के अंतर्गत असंक्रमणीय भूमिधर मान लिया गया है।

2.2 ग्राम समाज की कृषि भूमि आवंटन

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2006–2007	6.768 हे0	8876.249 हे0	131.15 प्रतिशत
2007–2008	8000 हे0	17510.797 हे0	218.88 प्रतिशत
2008–2009	8000 हे0	19189.746 हे0	239.87 प्रतिशत
2009–2010 दि0 30–11–09 तक	8000 हे0	11009.653 हे0	137.62 प्रतिशत

2.3 ग्रामीण आवास स्थल आवंटन

अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण शिल्पियों तथा कोई विकलांग व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो, के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–122 ग के अन्तर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने एवं जिन परिवारों के मकान 13 मई, 2007 तक ग्राम समाज की भूमि पर निर्मित थे ऐसी भूमि उन्हीं व्यक्तियों को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–123 (1) के अंतर्गत व्यवस्थित किए जाने का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत विगत 3 वर्षो की उपलब्धियॉ निम्नवत् रहीं है :–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2006–2007	53,337 परिवार	59310 परिवार	111.20
2007–2008	60,000 परिवार	98244 परिवार	163.74
2008–2009	60,000 परिवार	132649 परिवार	221.08
2009–2010 दि0 30–11–09तक	60,000 परिवार	73096 परिवार	121.83

2.4 मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राजाज्ञा में संशोधन करते हुए विस्तृत योजना राजाज्ञा संख्या–3736/1–2/95, दिनांक 17.10.95 में लागू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धि निम्नवत रही:–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2006–2007	25349.065 हे0	8543.185 हे0	33.70 प्रतिशत
2007–2008	3000 हे0	12346.730 हे0	411.50 प्रतिशत
2008–2009	3000 हे0	8087.847 हे0	269.59 प्रतिशत
2009–2010 दि0 30–11–09तक	3000 हे0	4000.951 हे0	133.37 प्रतिशत

2.5 कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवस्था में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन–

कुम्हारी कला के व्यवसाय में लगे परिवारों के आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिए ताल, पोखरों एवं अन्य स्थलों, जहां कुम्हारी कला हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन शासनादेश संख्या 4317/1–2/93–रा0–2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 द्वारा जनवरी 1994 से किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धि निम्नवत् रहीः–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2006–2007	2,500 क्षेत्र	3201 क्षेत्र	128.04 प्रतिशत
2007–2008	2,500 क्षेत्र	3953 क्षेत्र	158.12 प्रतिशत
2008–2009	2,500 क्षेत्र	5860 क्षेत्र	234.40 प्रतिशत
2009–2010 दि0 30–11–09तक	2,500 क्षेत्र	3289 क्षेत्र	131.16 प्रतिशत

2.6 वृक्षारोपण हेतु पट्टे

वृक्षारोपण हेतु हरियाली कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भूमि का पट्टा दिये जाने का शासनादेश संख्या–103–57/34/80–85–रा0–2, दिनांक 30.12.1985 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों का केवल वृक्षों के उपयोग तथा उपज व उनसे होने वाले लाभ हेतु पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। विगत तीन वर्षों की उपलब्धियां निम्नवत् रहींः–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
2006–2007	2069 हे0	2357.252 हे0	113.93 प्रतिशत
2007–2008	2500 हे0	3078.975 हे0	123.16 प्रतिशत
2008–2009	2500 हे0	3466.523 हे0	138.66 प्रतिशत
2009–2010 दि0 30–11–09 तक	2500 हे0	2898.701 हे0	115.95 प्रतिशत

2.7 <u>उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि</u>

कुछ वर्ष पूर्व विधवा को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति–पत्नी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में जो शुरूआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम–1950 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया है।

पूर्व में उत्तराधिकार के वरीयताक्रम में विवाहित पुत्री को भाई, भतीजे व अविवाहिता बहन से नीचे रखा गया है। वर्तमान में विवाहिता पुत्री को भी भाईयों एवं भतीजों के समतुल्य अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त अविवाहित बहन को भी भाईयों और भतीजों के समतुल्य अधिकार दिया गया है। पितामही–पितामह को उत्तराधिकार हेतु अब एक श्रेणी में कर दिया गया है। अविवाहिता पुत्री को पिता की कृषि भूमि में तथा माता द्वारा अन्य प्रकार से प्राप्त कृषि भूमि में भाईयों के साथ विरासत में सामान्य वरीयता प्रदान कर दी गयी है।

2.8 <u>विकलांगों के लिए आवासीय पट्टों की व्यवस्था</u>

निःशक्त जन अधिनियम–1995 की धारा–43 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर रियायती दर पर आवास भूमि आवंटन करने के संकल्प को मूर्तरूप देने के लिए उ0प्र0 सरकार ने जमींदारी विनाश अधिनियम में संशोधन कर जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पी एवं अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के अन्य व्यक्ति, जिनके पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, के लिए आवासीय भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की है, उसी प्रकार विकंलागों के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है।

2.9 <u>सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन</u>

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए सीलिंग भूमि आवंटन का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर 2009 तक 172 एकड़ भूमि का आवंटन 338 आवंटियों को किया गया जिसमें से अनुसूचित जाति के 228 आवंटियों को 129 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया।

2.10 सीलिंग भूमि आवंटियों को आर्थिक सहायता

सीलिंग भूमि आवंटियों को आवंटित भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 में आवंटियों को आर्थिक सहायता वितरण हेतु रूपया 3,11,172 की धनराशि शासन द्वारा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत सीधे जनपदों को आवंटित की गयी है।

2.11 उत्तर प्रदेश के समस्त खातेदार/सह खातेदार कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

उ0 प्र0 के लगभग 2.5 करोड़ खातेदार /सहखातेदार कृषकों के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना का आरम्भ योजना वर्ष 2004–2005 में हुआ था। योजना वर्ष 2008–09 हेतु जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना संचालित रही, जिसकी अवधि 16 सितम्बर 2008 से 15 सितम्बर 2009 तक है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों में अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसकी आयु 12 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य हो। बीमा का आवरण रू0 1,00,000 (रू0 एक लाख) मात्र का होता है,जिसके प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

इस बीमा का लाभ उन. खातेदार /सहखातेदार कृषकों को अनुमन्य होता है,जिनकी मृत्यु यदि आग, बाढ़, बिजली गिरने, करन्ट लगने, सॉप काटने एवं जीव जन्तु काटने मारने, नदी, तालाब, पोखर व कुंए में डूबने,मकान गिरने, वाहन दुर्घटना, डकैती, दंगा, मारपीट तथा आतंकवादी घटना आदि अप्राकृतिक कारणों से होती है। प्राकृतिक मृत्यु के प्रकार, प्रकृति इत्यादि के सम्बन्ध में इन्श्योरेन्स बीमा कम्पनी द्वारा कोई विवाद उठाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का निर्णय अन्तिम व बीमा कम्पनी पर बाध्यकारी होता है।

इस योजना के तहत लम्बित दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह में जनपदों में बैठक का आयोजन किया जाता है, जिसमें कम्पनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहते हैं। समीक्षा समिति की बैठक में बीमा कम्पनी के स्तर पर लम्बित एवं निस्तारित किये गये बीमा दावों पर विचार विमर्श किया जाता है।

जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को योजना वर्ष 2008–09 के लिए (दिनांक 16सितम्बर 2008से 15सितम्बर 2009) तक एक वर्ष के लिए

आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के माध्यम से चलायी जा रही है ,जिनकी अवधि 15 सितम्बर 2009 को समाप्त हो गई है। बीमा कम्पनी के अनुसार योजना वर्ष 2008–09 में 30 सितम्बर तक कुल 6079 दावे निस्तारित किये गये, जिसके सापेक्ष कुल रूपये 60,43,50,000/– की धनराशि का भुगतान आई0सी0आई0सी0आई0 लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड द्वारा किया गया। वर्तमान में उ0प्र0 के खातेदार/सहखातेदार कृषकों के लिये वर्ष 2009–10 हेतु संचालित जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु न्यूनतम बिड वाली कम्पनी (बीमा की दर रू0 21.84 रू0 इक्कीस एवं चौरासी पैसे मात्र) ' द ओरियण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0' से अनुबन्ध किया गया है,जो 19 नवम्बर 2009 से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा। बीमा कम्पनी को प्रथम किश्त के रूप में रू0 36.40 करोड़ का चेक दिनांक 18–11–2009 को उपलब्ध कराया जा चुका है।

2.12 आम आदमी बीमा योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है । इस योजना में 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के भूमिहीन परिवारो के मुखिया या कमाऊ सदस्य की प्राकृतिक मृत्यु होने पर रू0 30000/– तथा दुर्घटनावश मृत्यु या स्थाई अपंगता की दशा में रू0 75,000/–का बीमा लाभदेय है । अस्थाई अपंगता की दशा में रू0 37,500 का बीमा लाभ दिया जाता है । बीमा लाभ से आच्छादित परिवार के अधिकतम 02 बच्चों को रू0 100/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान है । इस योजना में प्रीमियम धनराशि का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । वर्ष 2009–10 से यह योजना राजस्व विभाग द्वारा चलाई जा रही है ।

2.13 किसान बही का विवरण

प्रदेश के 2.4 करोड़ जोत धारको को उनकी जोतों की जानकारी में सहूलियत कराने के उद्‌देश्य से पूर्व प्रचलित जोत बही /पास बुक के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन करके शासन द्वारा किसान बही में किसान के समस्त भौमिक सम्पत्ति के व्यापक विवरण रखने की व्यवस्था की गयी है। किसान बही में खातेदार का नाम व पता तथा

उनके भौमिक विवरण के साथ ही विक्रय बंधक पट्टे का विनिमयन से सम्बन्धिन प्रविष्टियों का उल्लेख किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में किसान बही योजना का प्रारम्भ वर्ष 1992 में किया गया है। शासन द्वारा स्वीकृत रूपये 21,54,69,119.50 की धनराशि का व्यय करके रू0 2,88,21,915 किसान बहियां भारत सरकार के उपक्रम केन्द्रीय भण्डार द्वारा मुद्रित कराकर कृषकों को वितरित करने हेतु जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है।

वर्ष 2003–04 तक प्रदेश में चकबन्दी अथवा रिकार्ड आपरेशन के अन्तर्गत ग्रामों को छोड़कर शेष ग्रामों के 2,41,25,262 कृषकों को किसान बहियां उपलब्ध कराया जाना था, जो उपलब्ध करायी जा चुकी हैं।

चकबन्दी अथवा रिकार्ड आपरेशन से बाहर आ जाने वाले ग्रामों के कृषकों को किसान बहियों का वितरण

वित्तीय वर्ष 2007–08 (30.04.2008 तक) जनपद से प्राप्त सूचना के आधार पर चकबन्दी एवं बन्दोबस्त से बाहर आये 10930 ग्रामों में 16,85,978 किसान बहियों का वितरण किया गया है।

इस प्रकार दिनांक 30–04–2008 तक कुल 2,58,11,230 किसान बहियों का वितरण किया जा चुका है। जैसे–जैसे ग्राम चकबन्दी एवं रिकार्ड आपरेशन से बाहर आते है, किसान बही वितरण किया जाता है।

3. राजकीय देयों की वसूली

राजस्व परिषद के निर्देशानुसार संग्रह संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता है। उक्त संग्रह कार्य प्रदेश के जनपदों में जिलाधिकारियों के नियन्त्रणाधीन संग्रह अमीनों द्वारा सम्पादित किया जाता है। संग्रह अमीनों द्वारा मुख्य देय एवं विविध देयों की वसूली की जाती है।

राजकीय देयों के अन्तर्गत वसूली करके, शासन की आय में राजस्व विभाग महत्वपूर्ण योगदान करता है। वर्तमान समय में राजकीय देयों की वसूली की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

3.1 मुख्य देय

मुख्य देय के अन्तर्गत मुख्य रूप से भू राजस्व, सिंचाई देय, भूमि विकास कर, तकाबी एक्ट–12 व तकाबी एक्ट–19 इत्यादि देय शामिल है।

मुख्य देयों की वसूली गत तीन वर्षो की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् हैः–

वित्तीय वर्ष	शुद्ध मॉग	वसूल की गयी धनराशि (करोड़ रूपये में)
2007–2008	174.64	130.46
2008–2009	175.27	123.80
2009–2010	95.05	48.78
(1.04.2009 से 30.11.2009 तक)		

वित्तीय वर्ष 2009–10 में शासनादेश दिनाक 25–07–09, 26–07–09, 30–07–09 तथा 25–08–09 के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदेश के 63 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए उक्त जनपदों में मुख्य देय की वसूली दिनांक 31 मार्च 2010 तक स्थगित की गयी है।

3.2 विविध देयः–

विविध देयों में मुख्यतः चकबन्दी देय, वी0जे0के0, व्यापार कर, वन देय, मोटर देय, आबकारी, गन्ना क्रय, विकास कर, उद्योग ऋण, उप निवेशन, विद्युत देय, बैंक देय, निष्क्रान्ति सम्पत्ति, स्टाम्प देय, रायल्टी, पिकप, मनोरंजन, श्रम देय इत्यादि देय शामिल है।

विविध देयों की वसूली की गत तीन वर्षो की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत है :–

वित्तीय वर्ष	शुद्ध मॉग	वसूल की गयी धनराशि (करोड़ रूपये में)
2007–2008	1257.40	1199.50
2008–2009	1165.53	1122.14
2009–2010	938.48	622.50
(1.04.2009 से 30–11–09तक)		

वित्तीय वर्ष 2009–10 के मासान्त जुलाई, 09 में शासनादेश दिनांक 25–07–09, 26–07–09, 30–07–09 तथा 25–08–09 के अंतर्गत शासन द्वारा प्रदेश के 63 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए उक्त जनपदों में विविध देय के अंतर्गत कृषि ऋण से सम्बन्धित देयों की वसूली पर भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई गई है।

4. राजस्व वादों की स्थिति

जनपद स्तरीय न्यायालयों में दिनांक 1.10.2008 से प्रारम्भ हुए राजस्व वर्ष के आरम्भ में 298082 वाद शेष थे। राजस्व वर्ष में दिनांक 31–8–2009 तक 1182605 दायर वादों को मिलाकर कुल उपलब्ध 1480687 वादों में से 1179406 वादों का निस्तारण किया गया। कुल 301281 वाद निस्तारण हेतु शेष रहे ।

मण्डल स्तरीय न्यायालयों में दिनांक 1.10.2008 से प्रारम्भ हुए राजस्व वर्ष के आरम्भ में 80366 वाद शेष थे। राजस्व वर्ष में दिनांक 31–8–2009 तक दायर 45552 वादों को मिलाकर कुल उपलब्ध 125918 वादों में से 44519 वादों का निस्तारण किया गया। कुल 81399 वाद निस्तारण हेतु शेष रहे।

राजस्व वादों के निस्तारण के संबंध में यह निर्देशित किया गया है कि निस्तारण मानक तथा दायर वादों के कम नहीं होना चाहिए तथा 6 माह पुराने वादों की संख्या में कमी प्रत्येक दशा में होनी चाहिए। गत तीन वर्षो के राजस्व वादों की स्थिति निम्नवत है :–

4.1 जनपदीय न्यायालयों की स्थिति–

राजस्व वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	नये दायर वाद	योग	निस्तारण	अवशेष
2007–08	287356	1317332	1604688	1306606	298082
2008–09	298082	1285923	1584005	1289661	294344
2009–10 अक्टूबर–09 से नवम्बर–09 तक	294344	208246	502590	203473	299117

4.2 मण्डलीय न्यायालयों की स्थिति–

राजस्व वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	नये दायर वाद	योग	निस्तारण	अवशेष
2007–2008	74073	85226	159299	78933	80366
2008–2009	80366	49196	129562	48068	81494
2009–10 अक्टूबर 09 से नवम्बर 09 तक	81494	12559	94053	12373	81680

4.3 राजस्व परिषद के न्यायालयों की स्थिति

राजस्व वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	नये दायर वाद	योग	निस्तारण	अवशेष
2006–2007	17,900	6,684	24,584	5,905	18,679
2007–2008	18,679	4,374	23,053	5,136	17,917
2008–2009	17,917	3,387	21,304	3,529	17,795
(1.10.08 से 30.11.2009) तक					

4.4 सीलिंग वादों के निस्तारण की स्थिति–

(क्षेत्रफल एकड़ में)

सीलिंग वादों का निस्तारण वर्ष 2009–2010

नवम्बर, 2009 तक

न्यायालय का नाम	निस्तारण हेतु उपलब्ध वादों की		निस्तारित वादों की		अवशेष वादों की	
	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र	संख्या	क्षेत्र
1.नियत प्राधिकारी न्यायालय	226	6240	15	36	211	6204
2.अपीलीय न्यायालय	290	5103	15	954	275	4149
3.मा0उच्च न्यायालय	4392	75922	354	10587	4038	65335
4.मा0उच्चतम न्यायालय	130	5660	21	846	109	4814
योग	5038	92925	405	12423	4633	80502

5. राजस्व अधिनियम की धारा–33–ए के अन्तर्गत उत्तराधिकार के निर्विवादित मामले एवं धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अविवादित हस्तान्तरण के वादों का निस्तारण –

उपर्युक्त वादों के निस्तारण हेतु पूर्व से ही समय–समय पर अभियान चलते रहें हैं, किन्तु इसे एक सतत् प्रक्रिया बनाकर परिषद स्तर से समस्त मण्डलायुक्तों / जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों के निरन्तर निस्तारण की कार्यवाही चालू रखने के निर्देश निर्गत किए गये हैं तथा इस कार्य के निस्तारण संबंधी विवरण निम्नवत हैः–

राजस्व वर्ष	धारा	निस्तारित मामले	वादों की संख्या धारा 33ए व 34
2007–08	33ए 34	751458 713575	1565033
2008–09	33ए 34	416948 810163	1227111
2009–10 अक्टूबर 09 से नवम्बर–09 तक	33ए 34	76511 125655	202166

6. सर्वेक्षण एंव अभिलेख प्रकिया की प्रगति

भू–राजस्व अधिनियम, 1901 एवं उत्तर प्रदेश सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रकिया नियमावली 1978 के अंतर्गत सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया की कार्यवाही की जाती है तथा प्रदेश में मण्डलों/जनपदों एवं तहसीलों के सृजन एवं परिसीमन संबंधी कार्य किया जाता है।

वर्तमान समय में प्रदेश में 6 सर्वेक्षण इकाईयों के माध्यम से सर्वेक्षण एंव अभिलेख क्रियाओं का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है जिनके मुख्यालय क्रमशः सोनभद्र, फैजाबाद, उन्नाव, बलिया, मिर्जापुर तथा गोरखपुर में स्थित हैं। मिर्जापुर इकाई का कार्य सोनभद्र की इकाई को हस्तान्तरित करके मिर्जापुर इकाई का स्थानान्तरण जनपद गाजियाबाद को किया गया है। इन इकाईयों का कार्य प्रदेश के

28 जनपदों में चल रहा है। जहॉ सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है। सम्बन्धित इकाईयों के पास अवशेष कार्य इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	इकाई का नाम	ग्रामों की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में
1	फैजाबाद	45	35463—638
2	बलिया	21	11863—713
3	सोनभद्र	15	57131—199
4	उन्नाव	135	42441—4921
5	गोरखपुर	253	39489—436
6	मिर्जापुर	—	—

उक्त के अतिरिक्त जपनद मुजफ्फरनगर के 16 ग्राम, जनपद सहारनपुर के 28 ग्राम, जनपद बिजनौर के 72 ग्रामों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के 14 ग्रामों की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सर्वे नायब तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर—गाजियाबाद 7 ग्रामों में अभिलेख प्रक्रिया संबंधी कार्य अवशेष है तथा सर्वे नायब तहसीलदार सर्किल बागपत में 19 ग्राम (उत्तर प्रदेश राज्य एवं हरियाणा राज्य मे सीमा विवाद) के अन्तर्गत हैं, जिसमें भूमि पैमाइस का कार्य किया जा रहा है।

नये जिलों एवं नयी तहसीलों के सृजन एवं परिसीमन से संबंधित प्रस्तावों का परीक्षण कर उक्त प्रस्तावों पर मा0 उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति प्राप्त कर अधिसूचना निर्गत कराने हेतु मा0 समिति की संस्तुति शासन को प्रेषित की जाती है। वर्ष 2009—10 में तहसील सृजन के 4 तथा तहसील परिसीमन के 5 प्रस्ताव शासन को भेजे गये हैं।

भारत—नेपाल के सीमावर्ती जिले पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में क्षतिग्रस्त सीमा स्तम्भों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य सर्वे आफ इण्डिया द्वारा कराया जाता है। उक्त कार्य हेतु वर्ष 2009—10 में सीमावर्ती जिलों द्वारा रूपया 36.91 लाख की मॉग की गयी है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

7. राजस्व भवनों का निर्माण

मण्डल/जनपद/तहसील स्तरीय भवन–

वित्तीय वर्ष 2009–10 में प्रदेश के मंडल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय राजस्व भवनों के निर्माण कार्यो हेतु शासन द्वारा रू0 140.00 करोड़ परिव्यय अनुमोदित किया गया है। उक्त परिव्यय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2009–10 में रु0 125.02 करोड़ का बजट प्राविधान है। जिसमें रू0 118.00 करोड़ मंडल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय/आवासीय चालू कार्यो तथा रु0 7.02 करोड़ मंडल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय/आवासीय नये कार्यो हेतु निर्धारित है। आलोच्य वित्तीय वर्ष 2009–10 में मंडल, जनपद एवं तहसील स्तरीय 50 अनावासीय कार्यालय भवनों के साथ ही 400 नग आवासीय भवनों का निर्माण पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। शासन की प्राथमिकता के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनावासीय भवनों के चालू कार्यो हेतु कुल रु0 110.33 करोड़ तथा आवासीय भवनों के चालू कार्यो हेतु रु0 32.91 करोड़ कुल रू0 143.24 करोड़ की आवश्यकता होगी।

12वॉ वित्त आयोग –

भारत सरकार द्वारा 12वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत प्रदेश के 100 वर्ष पुराने अत्यन्त जीर्णशीर्ण 20 कलेक्ट्रेट भवनों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण हेतु वर्ष 2006–07 से वर्ष 2009–10 तक चार वर्षो हेतु प्रति वर्ष 15.00 करोड़ की धनराशि की दर से कुल रू0 60.00 करोड़ की योजना अनुमोदित की गयी है। इसके प्रथम वर्ष 2006–07 में शासन द्वारा प्रदेश के 15 जनपदें के जीर्णोद्धार तथा 3 कलेक्ट्रेट भवनों के पुनर्निर्माण कार्य हेतु रु0 15.00 करोड़, वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 15.00 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में रू0 15.00 करोड़ अवमुक्त किया गया है। उपरोक्त 18 कलेक्ट्रेट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2009–10 में कलेक्ट्रेट झाँसी व मेरठ का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है। 12वें वित्त आयोग के अर्न्तगत आच्छादित कार्यो हेतु वर्ष 2009–10 में रु0 15.00 करोड़ की धनराशि अनुमोदित है।

लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों का निर्माण

केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, इलाहाबाद तथा टूण्डला (फिरोजाबाद) के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति की गयी हैं। लेखपाल विद्यालय गोरखपुर तथा बरेली का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। लेखपाल विद्यालय इलाहाबाद, लखनऊ एवं टूण्डला (फिरोजाबाद) के भवन निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2006—07 में केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत जनपद बिजनौर (साहनपुर), चरखारी (महोबा), गोण्डा, आजमगढ एवं गाजीपुर में 5 लेखपाल विद्यालयों का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रु0 875.15 लाख अवमुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008—09 में उक्त 5 लेखपाल विद्यालयों को पूर्ण कराये जाने हेतु रु0 819.62 लाख स्वीकृत है। उपरोक्त योजना के अर्न्तगत आच्छादित कार्यो हेतु वर्ष 2009—10 में कोई बजट प्राविधान नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष 2010—11 में 5 लेखपाल विद्यालयों हेतु रु0 745.68 लाख तथा लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालय, लखनऊ के निर्माण हेतु रु0 116.79 लाख की आवश्यकता होगी।

तहसील स्तर पर राजस्व बंदी गृहों का निर्माण

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अंतर्गत तहसील स्तर पर स्थित राजस्व बंदीगृहों के निर्माण/सुधार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007—08 में प्रदेश की विभिन्न 93 तहसीलों में बंदीगृहों के निर्माण हेतु रु0 506.85 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष राजस्व बंदीगृहों का निर्माण जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है।

8. प्रदेश में भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना एवं प्रशासन के सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य

8.1 खतौनी का कम्प्यूटरीकरण

प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से खतौनियों के कम्प्यूटरीकरण पर निरन्तर बल दिया जा रहा था। फलस्वरूप भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबन्दी से बाहर के 99,949 ग्रामों की खतौनियों के अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य के होने पर अब किसानों को तहसील केन्द्र से कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि रू0 15/– शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा हस्तलिखित खतौनी उद्धरण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। इन अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त इनके रख–रखाव में आसानी हो रही है तथा राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता भी आयी है। इससे अभिलेखों में बदलाव कर अनुचित लाभ लेने की संभवनाओं पर अंकुश लगा है। इसके अतिरिक्त कृषकों को भी सुलभता से उनके अधिकारों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकृत उद्धरण उपलब्ध हो रहे हैं। खतौनियों में प्रतिदिन होने वाले नामान्तरण को कम्प्यूटर के माध्यम से किये जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गयी है जिसके कारण नामान्तरण को भी अधिकारों के अभिलेख में ससमय दर्ज किये जा रहे हैं।

कृषकों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को उनके अभिलेखों को देखने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत खतौनी को इन्टरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इसे संबंधित वेबसाइट पर जाकर अवलोकित किया जा सकता है। इससे कृषकों के अतिरिक्त बैंको, चीनी मिलों इत्यादि संस्थाओं को भी लाभ मिल रहे हैं।

8.2 डिजिटल रेवेन्यू रिकार्ड रूम की स्थापना

एक महत्वपूर्ण कार्य जो राजस्व परिषद द्वारा प्रारम्भ किया गया है, वह है जनपदों के राजस्व अभिलेखागारों के सम्पूर्ण रिकार्ड का स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन। योजना के तहत 03 जनपदों लखनऊ, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये जनपद पायलेट प्रोजेक्ट के आधार पर लिये गये हैं। वर्तमान में प्रदेश के 18 जनपदों में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इन राजस्व अभिलेखागारों के डिजिटाइजेशन से निम्नलिखित लाभ होंगे–

1. डिजिटल रिकार्ड रूम को राजस्व न्यायालयों से कनेक्ट किया जायेगा जिससे कि वादों के निस्तारण में गतिशीलता आयेगी साथ ही त्वरित न्याय की अवधारणा भी साकार हो सकेगी तथा कृषक लाभान्वित होंगे।

2. पुराने राजस्व अभिलेखों को बेहतर तरीके से सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जा सकेगा तथा कृषकों को उनके अभिलेखों की नकल तत्काल उपलब्ध होगी।

3. पुराने अभिलेखों में हेरा–फेरी को रोका जा सकेगा जिससे विवादों में कमी आयेगी एवं कृषकों के हित सुरक्षित रह सकेंगे।

8.3 <u>राजस्व वाद प्रबंधन प्रणाली</u>

राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ एवं इलाहाबाद में स्थापित न्यायालयों का सफलतापूर्वक कम्प्यूटरीकरण किया गया। इस कार्य हेतु एक साफ्टवेयर विकसित कर, लम्बित वादों को कम्प्यूटर में फीड कर, कम्प्यूटरीकृत कॉज लिस्ट तैयार की जाती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर लगातार वादों का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। वादकारियों की सुविधा हेतु राजस्व परिषद में ''**टच स्क्रीन क्योस्क**'' की स्थापना की गयी है।

8.4 <u>राष्ट्रीय भू–अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0)</u>

एक अन्य महत्वपूर्ण योजना जिस पर वर्तमान में कार्य चल रहा है, के अन्तर्गत जनपदों में उपलब्ध विभिन्न भू–अभिलेखों–खतौनी, खसरा, नक्शा का कम्प्यूटरीकरण, अभिलेखागार के अभिलखों की स्कैनिंग एवं डिजिटाइजेशन, नयी तकनीक से सर्वे का कार्य, सब रजिस्ट्रार कार्यालय से तहसीलों की लिंकिंग इत्यादि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे। इस संबंध में भारत सरकार से भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण तथा राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत पाइलट प्रोजेक्ट के तहत जनपद–खीरी एवं इलाहाबाद में उक्त कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।उक्त के अतिरिक्त कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत जनपद गाजियाबाद, बाराबंकी, जौनपुर, मथुरा का चयन वर्ष 2009–10 के हेतु किया गया है। इसके निम्नलिखित लाभ होगें:–

1. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के समस्त नक्शों को डिजिटाइज़ किया जायेगा एवं सेटेलाइट इमेजरी के नक्शों का मिलान कर, उससे एक आदर्श नक्शे का निर्माण किया जायेगा, जो कम्प्यूटर पर उपलब्ध होगा। जनपद खीरी के दो ग्रामों में प्रयोग के तौर पर यह कार्य क्विक वर्ड सेटेलाइट की सहायता से पूर्ण करा लिया गया है। जनपद खीरी के समस्त ग्रामों में यह कार्य अब कराया जायेगा। यह कार्य पूर्ण हो जाने से ग्रामों की, प्लाट की बाउन्डरी का निर्धारण सुगमता से किया जा सकेगा। परिणामस्वरूप चकरोड, तालाब, अन्य सरकारी भूमि, वृक्षों का चिन्हीकरण सुगमता से होगा साथ ही वादों की संख्या में भी कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त भूमि की श्रेणी, मिट्टी का प्रकार, फसलों की उत्पादकता का आकलन, भूमि के नीचे पानी के स्तर इत्यादि को भी ज्ञात किया जा सकेगा।

2. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के उपरान्त अमल–दरामद हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालय से तहसील कम्प्यूटर केन्द्र को लिंक किया जायेगा। इससे अमल–दरामद प्रक्रिया को स्वतः स्फूर्त बनाया जा सकेगा। इससे एक ही भूमि के बार–बार फर्जी क्रय–विक्रय पर रोक लगेगी तथा अमल–दरामद के विवादों में कमी आयेगी एवं अमल–दरामद को ससमय किया जा सकेगा जिससे आम जन को लाभ मिलेगा।

8.5 आय, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्रों का सत्यापन

प्रदेश में तहसीलों द्वारा आय, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्रों को आम जनता को निर्गत किया जाता है। पूर्व में तहसील स्तर से जो प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाते थे उनकी नम्बरिंग में कोई एकरूपता नही होती थी तथा तहसील स्तर पर रजिस्ट्रार कानूनगो/सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो के द्वारा जो रजिस्टर रखे जा रहे थे और जिन पर इन्द्राज़ के उपरान्त प्रमाण–पत्र जारी किया जाता था, उसकी नम्बरिंग की भी कोई व्यवस्था नही थी। इस कारण जाली प्रमाण–पत्र निर्गत होने की संभावना बनी रहती थी। इसके दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में निर्गत किये जाने वाले आय, निवास एवं जाति प्रमाण–पत्रों की नम्बरिंग में एकरूपता लाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसके अन्तर्गत 11 अंकीय व्यवस्था दी गयी है। इस 11 अंकीय व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम दो अंक जनपद का कोड, तीसरा अंक तहसील कोड, चौथा एवं पांचवा दो अंक वर्ष कोड, छठा अंक संबंधित प्रमाण–पत्र के प्रकार का कोड तथा अन्तिम पांच अंक संबंधित प्रमाण–पत्र की संख्या को दर्शाता है। उक्त प्रमाण–पत्रों के सत्यापन हेतु परिषद द्वारा एक साफ्टवेयर विकसित किया गया है जो परिषद की साइट पर उपलब्ध है। इस

साइट पर तहसीलों द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण–पत्र को निर्देशानुसार फीड किया जा रहा है तथा उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से जनरेट संबंधित प्रमाण–पत्र की संख्या को प्रमाण–पत्र पर दर्ज किया जा रहा है। इस तरह वर्तमान निर्गत होने वाले प्रमाण–पत्रों की नम्बरिंग में जहॉ एक तरफ एकरूपता है वहीं दूसरी तरफ उसे सत्यापित भी किया जा सकता है कि उक्त प्रमाण–पत्र सही है अथवा जाली।

8.6 रेवेन्यू साफ्ट

विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण हेतु शासन/परिषद द्वारा जो सूचनायें जनपदों से मंगायी जाती हैं, उन्हे त्वरित रूप से प्राप्त करने हेतु वेब बेस्ड साफ्टवेयर, ''रेवेन्यू साफ्ट'' के माध्यम से मंगायी जा रही है। इसके द्वारा समय की बचत हो रही है।

9 तहसील दिवस

संवेदनशील एवं जवाबदेह प्रशासन की प्राथमिकता में सम्मिलित होने तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं के निराकरण के लिए आम–जनता को कई कार्यालय में भटकना न पड़े एवं बार–बार जिला मुख्यालय अथवा प्रदेश मुख्यालय न आना पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या 821/1–4–07–54बी–4/98–टी0सी0–, दिनांक 20–5–2007 द्वारा तहसील दिवस का आयोजन आरम्भ किया गया। आरम्भ में यह प्रत्येक जनपद के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर माह के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाता था किन्तु नवीन व्यवस्था के अंतर्गत अब माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को ही प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। वर्तमान मे तहसील दिवस में प्राप्त प्रार्थना–पत्रों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या–1504/1–4–09–54बी–4/98 टी0सी0, दिनांक 30–09–2009 द्वारा पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है, जिससे कोई भी आवेदक अपने प्रार्थना–पत्र की स्थिति और निस्तारण को संबंधित वेबसाइट पर देख सकता है। तहसील दिवस कार्यक्रम में आरम्भ से अब तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं निस्तारण की स्थिति का विवरण निम्नवत हैः–

वर्ष	प्राप्त प्रार्थना पत्र	निस्तारित प्रार्थना पत्र	अवशेष प्रार्थना पत्र
मई 2007 से 31 मार्च 2008 तक	1478910	1456102	22808
01 अप्रैल, 08से 31 मार्च 2009 तक	1827368	1803719	23649
01 अप्रैल, 2009 से 30 अक्टूबर 09तक	959733	952233	7500

प्रदेश में भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकृत खतौनी जारी करने की प्रक्रिया एवं उससे होने वाली आय के प्रबन्ध हेतु उत्तर प्रदेश अधिकारों का अभिलेख (कम्प्यूटरीकरण) नियमावली, 2005 में संशोधन करके जिला स्तर पर कतिपय प्रकरणों में व्यय की स्वीकृति जनपद स्तर पर देने का अधिकार प्रदान करके प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया गया है ।

भूमि अध्याप्ति के कार्यकलाप

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों/विभागों औद्योगिक प्रतिष्ठानों, चिकित्सालयों, विद्यालयों, सड़को, नहरों आवासीय संस्थानों व प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास हेतु भूमि की आवश्यकता होती है। सामान्यतः विभाग भू–स्वामी से भूमि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं किन्तु भू–स्वामी से सामान्य रूप से भूमि न प्राप्त होने की दशा में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की व्यवस्थानुरूप भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तथा अर्जित भूमि के बदले भूस्वामियों को बाजारू मूल्य के आधार पर उचित प्रतिकर का भुगतान कलेक्टर के माध्यम से किया जाता है।

भूमि अध्याप्ति का कार्य भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथासंशोधित 1984 के अन्तर्गत समयबद्धता से किया जाता है। भूस्वामियों के हितो को ध्यान में रखकर ही भूमि के बाजारू मूल्य पर 30 प्रतिशत सोलेशियम व 12 प्रतिशत के अनुरूप अतिरिक्त प्रतिकर व प्रतिकर भुगतान के लम्बित रहने की दशा में, प्रथम वर्ष के लिए 9 प्रतिशत तथा शेष अवधि तक 15 प्रतिशत, ब्याज का भुगतान भूधारकों को किया जाता है।

प्रभावित व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखकर ही अर्जन से विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित किये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2003 को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2004 से अंगीकृत कर ली गयी है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना से प्रभावित समस्त भू–धारकों/प्रभावित परिवारों पर उक्त नीति लागू होने से इसका लाभ प्राप्त होगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों को जिसके पास अपना घर हो और जिसका घर अधिग्रहीत कर लिया गया हों उसको अधिग्रहीत घर के क्षेत्र की वास्तविक क्षति के बराबर आवास स्थल बिना किसी लागत के आंवटित किया जायेगा, किन्तु शहरी क्षेत्रों के लिए 75 वर्ग मी0 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 150 वर्ग मी0 से अधिक नही होगा, तथा प्रत्येक गरीबी रेखा के नीचे प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए 25,000 रू0 की एक मुश्त सहायता धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। पशु रखने वाले परियोजना प्रभावित परिवारों को पशुशाला निर्माण के लिए 3,000 रू0 व भवन सामग्री व अन्य सामान के अन्तरण के लिए 5,000 रू0, ग्रामीण दस्तकार/छोटे व्यापारी जो स्वयोजित हो, को कार्य शैड/दूकान के निर्माण के लिए रू0 10,000 की वित्तीय सहायता दी जायेगी। भूमि अर्जन से प्रभावित परिवारों को जिनकी सम्पूर्ण भूमि अर्जित कर ली गयी हो और न तो कृषि योग्य बंजर भूमि आंवटित की गयी हों और न ही परिवार के किसी व्यक्ति को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया गया हों ऐसे परिवारों को आजीविका की क्षति के लिए 750 दिनों की न्यूनतम मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता दी जायेगी। अर्जन के परिणाम स्वरूप

सीमांत कृषक बने कृषकों को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मजदूरी तथा छोटे कृषकों को 375 दिनों की मजदूरी कृषि श्रमिकों या गैर कृषि श्रमिक श्रेणी से संबंधित परियोजना प्रभावित परिवार को 625 दिनों की मजदूरी दी जायेगी तथा प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए 250 दिनों तक प्रतिमास 20 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर मासिक आजिविका भत्ता दिया जायेगा।

प्रतिकर के शीघ्र भुगतान के संबंध में शासन व निदेशालय द्वारा समय–समय पर समस्त जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिये गये है कि अधिग्रहीत भूमि की प्रतिकर धनराशि का भुगतान अभिनिर्णय की घोषणा से 30 दिनों के अन्दर भूस्वामियों को कैम्प लगाकर कर दिया जाय।

शासन द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 11 (2) के अर्न्तगत उ0 प्र0 भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा और अभिनिर्णय) नियमावली 1997 प्रख्यापित की गयी है जिसमे शासनादेश सं0 1718–1–12–2001–20 (124)/2001–राजस्व–13 दिनांक 29.09.2001 यथासंशोधित के अनुसार प्रतिकर की दरों के निर्धारण की व्यवस्था की गयी है। आपसी समझौते से भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था को सुगम व सरल बनाने के लिए शासनादेश संख्या–1507/1–13–2004–20(160)/2000. टी सी–1 रा–13 दिनांक 14 सितम्बर 2004 द्वारा निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। इससे भूस्वामियों से आसानी से भूमि प्राप्त हो सकती है।

आपसी समझौते से भूमि प्राप्त करने से भूमि का आसानी से कब्जा मिल जाता है तथा धारा–18 के सन्दर्भो के न होने व न्यायिक विवाद से बचने में सहायता मिलती है। इसीलिए समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि अभिनिर्णय से पूर्व आपसी समझौते से भूमि प्राप्त होना संभव न हो तभी अनिवार्य भू–अर्जन की प्रक्रिया अपनायी जाय। इससे कृषक भी संतुष्ट रहते है और भूमि भी आसानी से मिल जाती है।

वित्तीय वर्ष 2008–2009 में भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत 90 वाद 5707 हे0 के, धारा–6 के अंतर्गत 11 वाद 123 हे0 के प्रकाशित हुए है। 59 वाद 2716 हे0 भूमि का कब्जा विभिन्न अर्जन निकाय को दिया गया तथा 38 वाद 550 हे0 के अभिनिर्णय घोषित हुए। वित्तीय वर्ष 2008–2009 में रू0 48,377.90 लाख का प्रतिकर वितरण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009–2010 के माह अक्टूबर, 09 तक भूमि अर्जन अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत 37 वाद 2317 हे0 के, धारा–6 के अंतर्गत 28 वाद 216 हे0 के प्रकाशित हुए है। 32 वाद 1348 हे0 भूमि का कब्जा विभिन्न अर्जन निकाय को दिया गया तथा 21 वाद 503 हे0 के अभिनिर्णय घोषित हुए। वित्तीय वर्ष 2009–2010 के माह अक्टूबर, 09 तक रू0 25,267.82 लाख का प्रतिकर वितरण किया गया है।